Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में पुलिस थाना रामसागड़ा का हैड कानिस्टेबल 3 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अगस्त, सोमवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये रमेश चन्द्र यादव हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना रामसागड़ा, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **3 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई उसके द्वारा दी गई शिकायत में कार्यवाही करने तथा उसके विरूद्ध दी गई शिकायत में कार्यवाही नहीं करने की एवज में रमेश चन्द्र यादव हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना रामसागड़ा, जिला डूंगरपुर द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड़** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत** द्वारा मय टीम के डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रमेश चन्द्र यादव पुत्र श्री गोविन्द यादव निवासी पोस्ट नन्दौर, थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना रामसागड़ा, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **3 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।